ऑन लाईन नं. GCMS 2025/159

**न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर**

**पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.**

**न्याय निर्णयन आवेदन सं0 45/2025**

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री नरेश पुत्र श्री रघुवीर सिंह(विक्रेता व प्रोपराईटर), मै. BIG DEAL Mart, 114–एल ब्लॉक,नजदीक चांडक कोठी, श्रीगंगानगर, निवासी वार्ड न. 8, वीपीओ–सरदारपुरा, जीवन, 1 एसपीएम, श्रीगंगानगर।

**अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा**
**एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51**

**निर्णय** दिनांक : 14.11.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खादद्य सुरक्षा अधिकारी का राज० गजट नोटिफिकेशन क्रमांक–संख्या प.5 (01) चिस्या / ग्रुप–3 / ई–5095/2024 दिनांक 28.06. 2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक–आयुक्ता/संस्था. /2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था. /2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.04.2025 को समय शाम 02.40 पी एम बजे को मै. BIG DEAL Mart, 114–एल ब्लॉक,नजदीक चांडक कोठी, श्रीगंगानगर पर पहुँचे, मौके पर **श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रघुवीर सिंह (विकेता एवं प्रोपराइटर)** को अपना परिचय दे कर संस्थान का निरीक्षण कर संस्थान की रेक में रखे खाद्य पदार्थ **Pure Ghee(Amul)** के बारे में जानकारी चाही इस पर विकेता ने स्वंय को संस्थान का प्रोपराइटर बताया तथा संस्थान में रखे 452–452 ग्राम के(7 नग) जार पैक खाद्य पदार्थ **Pure Ghee(Amul)** को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया, मुझे इसी खाद्य पदार्थ मे मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ **Pure Ghee(Amul)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुये वयक्त की, गोके पर ही विकेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दीया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री नरेश पुत्र श्री रघुवीर सिंह (विकेता एवं प्रोपराइटर)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं 5ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री नरेश पुत्र श्री रघुवीर सिंह (विकेता एवं प्रोपराइटर)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **Pure Ghee(Amul)** 452–452 ग्राम के 7 नग जार पैक खाद्य पदार्थ **Pure Ghee(Amul)** में से **452–452** ग्राम के चार मूल शील्डजार पैको कुल 01 किलो 808 ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

वजनी को प्रापेराईटर से खरीद कर लिया। प्रोपराईटर को मौके पर ही उक्त कयशुदा खाद्य पदार्थ **Pure Ghee(Amul)** का नगद भुगतान 1280 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और स्वयं आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Pure Ghee(Amul)** को मूल चार जार पैक पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–2768** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं प्रोपराईटर व विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–2768** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विकेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री नरेश पुत्र श्री रघुवीर सिंह (विकेता एवं प्रोपराइटर)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./454/Act/2025/454 Dated 01.05.2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2769 Unsafe Food & Sub-Standard Food** होना पाया गया। स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः जांच हेतु मालिक को सूचित किया गया, जिस पर मालिक ने रेफरल फूड लेब से जांच करवाने हेतु आवेदन किया। रेफरल फूड लेब से जांच हेतु आवेदन करने के पश्चात रेफरल फूड लेबोरेट्री, मैसूर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट **कमांक** FT/AQCL/FSSA(932F)/2025 Dated 29.08.2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2768 Substandard Food** होना पाया गया।इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री नरेश पुत्र श्री रघुवीर सिंह(विकेता व प्रोपराईटर)**, मै. BIG DEAL Mart **114–एल ब्लॉक,नजदीक चांडक कोठी, श्रीगंगानगर, निवासी वार्ड न. 8, वीपीओ–सरदारपुरा, जीवन, 1 एसपीएम, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **Pure Ghee(Amul)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 03.10.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया कि निवेदन है कि प्रार्थी वार्ड नम्बर 8 सरदारपुरा जीवन तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म मैसर्स बिग डिल मार्ट दुकान नम्बर 114 एल ब्लाक नजदीक चाण्डक कोठी श्री गंगानगर तहसील वा जिला श्री गंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 1857/25 दिनांक 6–10–2025 का दिया है कि आपकी दुकान में घी की जांच की गई तो घी substandard Food पाया गया है प्रार्थी ने उक्त घी मे सुधार कर लिया है भविष्य मे प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे उक्त प्रकरण स० 45/2025 है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Pure Ghee(Amul)** का सैम्पल **K-2768** जांच रिपोर्ट क्रमांकः– FT/AQCL/FSSA(932F)/2025 Dated 29.08.2025 द्वारा **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample is **Substandard** as defined under section 3(1)(zx) of Food Safety and Standards Act-2006 as it **does not conform** to the standard laid down for **<u>Ghee</u>** under the provision of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Aditives) Regulations 2011 and Food Safety and Standards [Prohibition & Restriction On Sales] Regulation -2011 की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री नरेश पुत्र श्री रघुवीर सिंह(विक्रेता व प्रोपराईटर), मै.** BIG DEAL Mart **114–एल ब्लॉक,नजदीक चांडक कोठी, श्रीगंगानगर, निवासी वार्ड न. 8, वीपीओ–सरदारपुरा, जीवन, 1 एसपीएम, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री नरेश पुत्र श्री रघुवीर सिंह(विक्रेता व प्रोपराईटर), मै.** BIG DEAL Mart **114–एल ब्लॉक,नजदीक चांडक कोठी, श्रीगंगानगर, निवासी वार्ड न. 8, वीपीओ–सरदारपुरा, जीवन, 1 एसपीएम, श्रीगंगानगर** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)